RAJASTHAN HIGH COURT BENCH JAIPUR

RHCB/STORE/2013-2014/82 Date-03.06.2013

Tender Notice

Sealed tenders are invited for the supply articles as mentioned below from the manufacturers /authorised distributors/ dealers for the use of the Rajasthan High Court Bench, Jaipur. Rates shall be valid up-to 31.03.2014.

Sr. N	*Name of Item*	*Required Qty.*	*Total Cost*	*Earnest Money*
1	Split air Conditioner (2ton)	05 Nos	2,00,000/-	Rs. 4,000/-
2	Split air Conditioner (1.5 ton)	02 Nos	63,000/-	Rs. 1260/-
3	Vacuum Cleaner	03 Nos.	67,500/-	Rs. 1350/-
4	UPS batteries	40 Nos	1,60,000/-	Rs. 3200/-
5	Computer Chair	14 Nos	49,000/-	Rs. 980/-
6	Computer Table	14 Nos	35,000/-	Rs. 700/-
7	Tyre (Tubeless) for Maruti Beleno, Chvrolet Optra, Corola altis, Innova	50 Nos	3,00,000/-	Rs. 6000/-
8	Batttery for Maruti Beleno, Cherolet Optra, Corolla altis, Innova	15 Nos	75,000/-	Rs. 1500/-

Tender forms, with terms & conditions can be obtained from Case Section of this office , on payment of Rs. 200/-, from 06.06.2013 to 20.06.2013. Detailed information regarding tenders will also be available on High Court Website- http://hcraj.nic.in from 06.06.2013.

Tenders in a sealed envelope marked conspicuously "Tender for Electronic/ Furniture/Vehicle items" should reach on or before 21.06.2013 at 10.00 am. The tenders will be opened on 21.06.2013 at 10.30 a.m., before purchase committee, in the presence of any intending tenderer or their authorise representative who may be present.

Registrar (Administration).

Tender form for Electric, furniture & Vehicle items
Tender form fee Rs 200/-
Due date 20.06.2013 up-to 12.30 noon

RAJASTHAN HIGH COURT BENCH JAIPUR

TENDER FORM

1.Tender for ....

2.Name and postal address of the firm submitting tender ....

....

....

....

3.Address to ....

....

4.Reference ....

5.The tender fee amounting to Rs. 200/- has been deposited vide cash receipt No. .... and date ....

6.We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice No. RHCB/STORE/2013-2014/ dt. ------------ and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the term mentioned therein).

7.The rates for the items have noted against each are as under -:

Sr. No.	*Name of Item & required Brand*	*Approx. Reqired Qty*	*Total Approx Cos*	*Earnest money*	*Cost per Piece Including vat*
1	Split air conditioner (2 ton) Voltas / LG / Samsung with stablizer and Installation 3Star / 5Star	5 Nos	2,00,000/-		
2	Split air conditioner (1.5 ton) Voltas / LG / Samsung with stablizer and Installation3Star / 5Star	2 Nos	63,000/-		
3	UPS batteries (12 Volt, 42 AH) Exide / Sukam Quanta / Amco/ Rocket with Installation	40 Nos	1,60,000/-		
4	Vacuum Cleaner Eureka Forbes / Equaguard Heavy duty	3 Nos	67,500/-		
5	Computer Chair Godrej or its equilants	14 Nos	49,000/-		
6	Computer Table Godrej or its equilants	14 Nos	35,000/-		
7	**Tyre (Tubeless)** **Size** Maruti Beleno 165/80 R 13 Cherolet Optra 185/65 R 14 Corola altis 195/65 R 15 Innova 205/67 R 15	50 Nos	3,00,000/-		
8	**Batttery** **Size** Maruti Beleno 36 B 20 L Cherolet Optra SP 50 Z Corola altis 55B 24 L Innova NS 70 L	15 nos	75,000/-		

8.The rates quoted above are valid up to 31.03.2014. The period can be extended with mutual agreement.

09.Bank Draft/Bankers Cheque No. .... drawn on .... (Name of Banker)/ cash receipt No. .... /Challan No. and date .... for Rs. .... to cover earnest money is enclosed.

10.The Income Tax Clearance Certificate , Sales Tax Registration Number and Sales Tax Clearance Certificate are submitted herewith.

11.Decleration of manufacturer/Dealer, etc., is also enclosed.

Signature of tender

Tender Conditions for Electric, Furniture, Vehicle and other items

निविदा की शर्तें

निविदा-दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें ।

1. निविदाएँ मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी हैं ।
2. निविदा प्रपत्र के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, बिक्रीकर, पंजीयन नम्बर एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये।
3. निविदा प्रपत्र स्याही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिये तथा दरें शब्दों एवं अंकों. दोनों में बिना काँट छांट के स्पष्ट रूप के अंकित की जानी चाहिए।
4. निविदादाता को निर्माता/ अधिकृत विक्रेता / डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा मदों में निविदादाता को उस श्रेणी के आइटम्स की सप्लाई करने के समुचित अनुभव के दस्तावेज संलग्न करने होगे।गोदरेज अथवा समकक्ष स्तर के फर्नीचर की दरें भी अंकित करें।
5. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिये तथा सभी कर एवं लागते समाहित होनी चाहिये।
6. सफल निविदादाता से एकमुश्त अथवा 31.03.2014 तक कभी भी खरीद की जा सकती हैं।
7. निविदाएँ खोली जाने की दिनांक से तीन माह तक निविदा की दरें स्वीकृत की जा सकेगी, उसके बाद स्वत: ही निरस्त हो जावेगी।
8. निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों के आइटम्स की सप्लाई का अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेंगा । (सबलेट नहीं करेगा)
9. निविदा में मांगी गयी सामग्री का पूर्ण विवरण(साईज, मैक, स्पेशिफिकेशन, शर्ते, ड्राईंग्स आदि) देना होगा।
10. यदि माल की आपूर्ति क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी निविदा / संविदा किसी भी समय निरस्त कर सकता हैं
11. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
12. क्रयादेश आदेश जारी किया जाने के बाद माल की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में की जानी होगी ।
13. यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता हैं या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम क्रय करता हैं तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा ।
14. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 5 प्रतिशत सिक्यूरिटि डिपोजिट जमा करानी होगी ।बयाना राशि सिक्यूरिटी डिपोजिट में समायोजित कर ली जावेगी।
15. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता हैं, या रूपान्तरण करता है या विदित समय में करार निष्पादित नहीं करता हैं या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं कराता हैं या आदेशित सामग्री की आपूर्तिप्रदान करने में विफल रहता हैं तो बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा ।
17. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी ।
18. क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर परिसमापित नुकसानी (लिक्वीडिटी डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी ।

(क) विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश की

राशि का 2.5 प्रतिशत ।

(ख) विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का पाँच प्रतिशत ।

(ग) विदित सुपूर्दगी आवधि की आधी अवधि से अधिक तीन चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का साढ़े सात प्रतिशत ।

(घ) विदित सुपूर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का दस प्रतिशत ।

19.प्रदान में विलम्ब की अवधि की गणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि दस प्रतिशत होगी ।

20.क्रय समिति को निविदा वस्तुओं की गुणवता एवं लागत के आधार पर निर्णित करने का पूर्ण अधिकार होगा । क्रय समिति न्यूनतम निविदादाता व अन्य निविदादाताओं को निगोसियेशन के लिये आमंत्रित कर सकती हैं । इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा सामग्री वांछित गुणवता की न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती हैं ।

21.आपूर्ति की गयी सामग्री की कम से कम एक वर्ष की गारन्टी शामिल होगी।गारन्टी अवधि में किसी भी प्रकार की मरम्मत अथवा रिप्लेसमेन्ट अथवा अतिरिक्त पार्टस के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।

22. क्रय समिति को पूर्ण अथवा आंशिक निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

23.क्रय समिति विज्ञप्ति में दी गई मात्रा से अधिक/ कम मात्रा में आवश्यकतानुसार क्रय कर सकेगी ।

24.निविदा के साथ निविदादाता को निम्नानुसार बयाना राशि का डी.डी.(निविदा में शामिल मद अनुसार) रजिस्ट्रार(प्रशासन),राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के नाम से देय होगा।

15.क्रय समिति को पूर्ण अथवा आंशिक निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

19.क्रय समिति विज्ञप्ति में दी गई मात्रा आवश्यकतानुसार कमी या वृद्वि कर सकती हैं। जिन फर्मों की निविदा स्वीकार की जाएगी, उन्हें मांग के अनुसार आइटम्स की सप्लाई कार्यालया द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर करनी होगी। माल की सप्लाई आदेशानुसार या समय पर नहीं होने पर फर्म के विरुध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा कार्यालय को होने वाली वित्तीय क्षति का उतरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।

20.निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

21.सफल निविदादाता को 5% जमानत राशि दस दिवस में जमा करानी होगी।

22.अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रमाण पत्र में त्रुटि पाये जाने पर 5% जमानत राशि दण्ड स्वरुप देनी होगी।

23.टायर व बैटरी क्रय पर गारन्टी/वारंटी के अन्तर्गत आने वाली सभी सुविधायें विभाग को प्रदान की जाएगीं।

24.निविदादाता पुरानी बैटरियां को जहां है, जैसी है, की स्थिति में निरीक्षण के उपरान्त बाई-बैक की दरें भी दर्शावें।

25.सफल निविदादाता फर्म को 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

26.किसी भी विवाद की स्थिति में रजिस्टार प्रशासन का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।